239 P

847

चल–अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019–20

1.अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमे वह हो–कमल कुमार जैन, म0प्र0 शासन (गृह) पुलिस विभाग

2. वर्तमान धारित पद – अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अनुभाग नौगॉव जिला छतरपुर (म0प्र0)

3. वर्तमान वेतन – 82700 + DA

4. अगली वेतनवृद्वि की तारीख – 01.07.21

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमे संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईये कि वह किस के नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीफ पटटा बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला भोपाल तहसील हूजूर ग्राम नेवरी	आवासीय प्लांट नं0 34 साइज 40 × 60 फीट 2400 वर्ग फीट		1200000 रूप्ये बारह लाख रूप्ये	कमल कुमार जैन स्वय के नाम पर	पुलिस विभाग (जिला पुलिस बल भोपाल के आदेश क0 369/99 दिनांक 17.03.1999 के जरीये अनुमति लेकर स्वयं के वेतन से प्रतिमाह राशि कटवा कर दी भोपाल को–ऑपरेटिव सोसायटी लि0 से दिनांक 31.03.2001 मे 60 हजार रूप्ये मे किश्तो पर कय किया)	-	-
जिला भोपाल तहसील हूजूर ग्राम कटारा हिल्स स्वामी विवेकानंद कॉलौनी	आवासीय प्लांट नं0 307 साइज 24.6 × 39.36 फीट 968.40 वर्ग फीट		800000 रूप्ये आठ लाख रूप्ये	श्रीमती उषा जैन (शासकीय कर्मचारी की पत्नी)	पुलिस विभाग (जिला पुलिस बल भोपाल के आदेश क0 544/10 दिनांक 04.06.2010 के जरीये अनुमति लेकर किश्तो पर भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल से दिनांक 29.08.2013 मे 677880 रूप्ये मे किश्तो पर कय किया)	-	-
जिला इन्दौर तहसील इन्दौर ग्राम पिपल्या कुमार महालक्ष्मी नगर कॉलौनी	आवासीय मकान एम0आर0 – 05 नं0 304 साइज 20 × 50 फीट कुल 1000 वर्ग फीट		4000000 रूप्ये चालीस लाख रूप्ये	श्रीमती उषा जैन (शासकीय कर्मचारी की पत्नी) एंव स्वयं के नाम पर	पुलिस विभाग जिला इन्दौर मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से आदेश दिनांक क0 875/13 पर अनुमति लेकर दिनांक 24.07.13 को श्रीमती रचना पत्नी अमित जैन से 20,50,000 रूप्ये मे जी0पी0एफ0 की राशि तथा बैंक लोन लेकर निर्माण कराया	-	-

– जहां लागू न हो काट दिजिए।

– ऐसे मामले मे मूल्य की सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

– इसमे अल्प कालीन पटटे भी समलित है।

टिप्पणी – म0प्र0 शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1965 के 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा मे पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 माह की अवधि के पश्चात यह घोषण पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमे यह उनके स्वामित को तथा उसके द्वारा अर्जित अविधि उसे विरासत मे मिली या उसके अपने मकान पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ता0

नाम /पद – कमल कुमार जैन अनु0 अधि0 पुलिस

स्थान – अनुभाग नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0